न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 104 / 2012 गत मु.नं. 113 / 2009 **RCMS 2009/00039**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. भैरूसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

श्री राजेश गुर्जर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 28/01/2020

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.43 हैक्टर किस्म चाही प्रथम भूमि में से 0.0231 हैक्टर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के निजी टेलिफोन कम्पनी हच के टॉवर का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, इस बाबत पटवारी हल्का मण्डावरा द्वारा सूचना प्रस्तुत करने पर वादी द्वारा अपने कार्यालय से नोटिस दिया गया, परन्तु रामचन्द्रसिंह कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि का विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नही है, बिनाय दावा दिनॉक 30.01.2008 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 ए. एल.आर.एक्ट सं. 4 / 07 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.43 हैक्टर को राजकीय दर्ज कर वादी का कब्जा [illegible] किये जाने के आदेश फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर जवाब अवसर बन्द किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नकल खतौनी, धारा 90 A आर.एल. आर. एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अंकन किया है कि निजी टेलीफोन कम्पनी हच का टावर लगाया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया जाना अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में से 0.0231 वर्ग मीटर भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा निजी टेलिफोन कम्पनी हच का टावर लगाया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.43 हैक्टर में 0.0231 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.0231 वर्ग मीटर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 28/01/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 104/2012 गत मु.नं. 113/2009 **RCMS 2009/00039**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी :–

1. भैरूसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राजेश गुर्जर मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 708 रकबा 1.43 हैक्टर में 0.0231 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.0231 वर्ग मीटर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 28/01/2020 को जारी की गई।

दस्तखत.................................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी (मुहर)

कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:01:28 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.21 18:26:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: